पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और संभार विकास (पीटीपी-एनईआर)

परिचालन दिशानिर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

फा.सं. 08/01/2021-आजीविका

-

विषयसूची

क्र.सं.	विषयवस्तु	-पृष्ठ-
	संक्षेपताक्षर	-2-
	परिभाषाएं	-2-
1	पृष्ठभूमि	-3-
2	अंतर्दृष्टि/परिकल्पना (विजन)	-3-
3	उद्देश्य	-3-
4	परियोजना कवरेज और अवधि	-4-
5	सामान्य विशेषताएं	-4-
6	संस्थागत ढांचा	-4-
7	योजना घटक	-6-
8	योजना का वित्तीय लेआउट	-10-
9	अनुदान की निर्मुक्ति	-10-
10	निगरानी और मूल्यांकन ढांचा	-11-
11	अभिसरण	-12-
12	राज्य सरकार की भूमिका	-12
13	संपत्तियों का संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम)	-13-
14	जागरूकता सृजन और प्रचार	-13
15	द्वयर्थकता/छूट को हटाना	-13-

संक्षेपताक्षर

पूर्ण रूप	लघुरूप
उत्तर पूर्वीक्षेत्र विकास मंत्रालय	एमओडीओएनईआर
डाक विभाग	डीओपी
जनजातीय कार्य मंत्रालय	एमओटीए
प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन	पीएमजेवीएम
परियोजना प्रबंधन इकाई	पीएमयू
स्वयं सहायता समूह	एसएचजी
जनजातीय कारीगर मेला	टीएएम
जनजातीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफ इंडिया	ट्राइफेड
वन धन विकास केंद्र	वीडीवीके

परिभाषाए:

क. आपूर्तिकर्ता: एक आपूर्तिकर्ता एक व्यक्तिगत जनजातीय कारीगर, जनजातीय एसएचजी और सरकारी संगठन/एजेंसियां/एनजीओ हो सकते हैं, जो जनजातियों/पीएमजेवीएम योजना/ एफपीओ आदि के तहत गठित जनजातियों/वन धन विकास केंद्रों के साथ काम कर रहे हैं।

ख. जनजातीय उत्पाद: जैसा कि ट्राइफेड के उपनियमों में परिभाषित किया गया है, अन्य आजीविका गतिविधियों और जनजातियों द्वारा की जाने वाली संबंधित गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा।

1. पृष्ठभूमि

सात बहनों के नाम से ज्ञातव्य भारतीय राज्य और सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का गठन करते हैं। इस क्षेत्र में भारत की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 10% शामिल है, जो लगभग एक करोड़ व्यक्ति हैं। यह क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में समृद्ध है और यहां कई जनजातियां और उप-जनजातियां रहती हैं। यह जनजातीय आबादी अपने शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा के लिए जानी जाती है जो व्यापक लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में उत्पादों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें व्यापक विपणन और पहुंच की क्षमता है। इस तरह की व्यापक पहुंच से इन गतिविधियों में संलग्नक जनजातीय आबादी को न केवल आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे अपितु उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए "पूर्वोत्तर क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने" की एक नई योजना शुरू की है।

2. अंतर्दृष्टि/परिकल्पना (विजन)

"पूर्वोत्तरक्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और संभार (रसद) विकास योजना (पीटीपी-एनईआर)" में जनजातीय उत्पादों की खरीद, संभार और विपणन में बढ़ी हुई दक्षता के माध्यम से जनजातीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत करने की परिकल्पना की गई है।

3. उद्देश्य

क. जनजातीय कारीगरों के साथ उनके उत्पादों के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की सुविधा के लिए स्थायी संबंध स्थापित करना।

ख. खरीद, पैकेजिंग, मानकीकरण आदि में बढ़े पैमाने पर मितव्ययिता बढ़ाने के लिए इन्क्यूवेशन और एकत्रीकरण केंद्र स्थापित करना।

ग. जनजातीय उत्पादों की पहुंच और अभिगम का विस्तार करने के लिए ब्रांडिंग और विपणन रणनीतियों को डिजाइन करना और कार्यान्वित करना।

घ. जनजातीय उत्पादों की सुचारू खरीद और विपणन के लिए संभार बुनियादी ढांचे में सुधार।

ङ. जनजातीय कारीगरों के लिए आय-सृजन के अवसरों में सुधार और विविधता लाना।

च. इन पहलों के लागत प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य सरकारी विभागों और संगठनों के साथ अभिसरण स्थापित करना।

4. योजना कवरेज और अवधि

यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में 6000 से अधिक जनजातीय कारीगरों और आपूर्तिकर्ताओं की आजीविका को सीधे तौर पर बढ़ाने की कल्पना करती है।

5. सामान्य विशेषताएं

क. योजना का शीर्षक/नाम: योजना को, "पूर्वोत्तर क्षेत्र (पीटीपी-एनईआर) के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और संभार विकास" नाम से जाना जाएगा।

ख. योजना का कवरेज: यह योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी।

ग. योजना का कार्यक्षेत्र: योजना, (पीटीपी-एनईआर) जनजातीय कारीगरों को इन्क्यूवेशन सहायता, एकत्रीकरण, कौशल और उद्‌यमिता विकास, सोर्सिंग (स्रोत) और खरीद, विपणन, परिवहन और प्रचार के द्‌वारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के प्रावधान के माध्यम से आय बढ़ाने के अवसरों का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करेगी।

घ. अभिसरण और सहयोग: यह योजना भारत सरकार (जीओआई) की पूरी तरह से वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना को जनजातीय कार्य मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एम/डीओएनईआर), डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के बीच अभिसरण/सहयोग उपाय (हस्तक्षेप) के रूप में तैयार किया गया है।

ङ. निगरानी तंत्र: ट्राइफेड एम एंड ई के लिए निगरानी तंत्र विकसित करेगा, जो डिजिटल होगा। सभी प्रासंगिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी।

6. संस्थागत ढांचा

6.1 नोडल कार्यान्वयन एजेंसी

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्‌वारा ट्राइफेड को पीटीपी-एनईआर योजना की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

6.1.1 नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में ट्राइफेड की भूमिका:

क. समग्र योजना कार्यान्वयन और प्रबंधन,

ख. इन्क्यूवेशन एजेंसियों की पहचान और नियोजन

ग. कारीगरों का पैनल,

घ. उत्पादों को मंगाना/सोर्सिंग,

ङ. उत्पाद की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए विपणन चैनलों का विकास,

च. नीति आयोग द्वारा विकसित किए जाने वाले ओओएमएफ के उपयोग सहित योजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए निगरानी मानकों का विकास करना,

छ. योजना की गतिविधियों के लिए एसओपी विकसित करना

6.2 कार्यान्वयन भागीदार

पीटीपी-एनईआर योजना के तहत, ट्राइफेड निर्दिष्ट कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से योजना को कार्यान्वित कर सकता है, जिसे ट्राइफेड की भूमिका से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञता प्रदान करने सहित जमीनी स्तर पर और अन्य पहलुओं में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में ट्राइफेड का सहयोग करने के लिए शामिल किया जाएगा। ट्राइफेड, प्रारंभिक स्तर पर अपनी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यान्वयन भागीदारों को भी शामिल कर सकता है।

6.2.1 कार्यान्वयन भागीदार कौन हो सकता है?

ज. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एजेंसी/एजेंसियां या

झ. आजीविका संवर्धन गतिविधियों की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत अन्य केंद्र/राज्य सरकार की ऐसी एजेंसियां जिनका उपलब्धियों का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड है।

कार्यान्वयन भागीदार संबंधित राज्य सरकार के सहयोग से कार्य करेगें। इसके अलावा, राज्य सरकार, अपनी स्वयं की योजना के अभिसरण में ऐसी एजेंसियों को नामित करेगी जो योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ट्राइफेड, कार्यान्वयन भागीदारों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और डाक विभाग एवं राज्य सरकार के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए योजना कार्यान्वयन में कार्यान्वयन भागीदारों की सहायता करेगी।

6.2.2 कार्यान्वयन भागीदार (रों) का चयन कैसे किया जाएगा?

ट्राइफेड, केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य और संबंधित एजेंसियों की इच्छा के आधार पर कार्यान्वयन भागीदारों का चयन करेगा।

6.2.3 कार्यान्वयन भागीदारों की भूमिका

क) पूर्वोत्तर राज्यों में योजना के बारे में सुग्राहीकरण और जागरूकता,

ख) पीटीपी-एनईआर के तहत आपूर्तिकर्ताओं के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए जनजातीय उत्पादकों की पहचान करने में ट्राइफेड की सहायता करना,

ग) खरीद के मौजूदा चैनलों के अतिरिक्त ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार उत्पादों के सोर्सिंग में ट्राइफेड की सहायता करना,

घ) उत्पाद और बाजार का व्यवहार्यता अध्ययन

ड.) एफएसएसएआई, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन (जैविक प्रमाणीकरण), जीआई, सिल्क मार्क, वूल मार्क, हैंडलूम मार्क, आदि जैसे आवश्यक प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए योजना के तहत मौजूदा और अतिरिक्त सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं को, जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक सहायता की सुविधा प्रदान करना।

च) संग्रहण केंद्रों और केंद्रीय गोदामों में गुणवत्ता नियंत्रण का कार्यान्वयन,

छ) उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए विपणन चैनलों का विकास करने में ट्राइफेड की सहायता करना

ज) क्षेत्र से नए भौगोलिक संकेतकों की पहचान करना और अनुशंसा करना और मौजूदा संकेतकों को बढ़ावा देना,

झ) जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित जनजातीय उत्पादों की मांग और आपूर्ति का पता लगाने के बाद समेकित विपणन योजना तैयार करना,

ण) पैकेजिंग, उत्पादों का मानकीकरण और संग्रहण केंद्रों का प्रबंधन

ट) एकत्रीकरण केंद्र और गोदाम प्रबंधन

7. योजना घटक

क) जनजातीय कारीगरों और आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और सूचीकरण (पैनल):

कौन पैनल में शामिल (सूचीबद्ध) आपूर्तिकर्ता हो सकता है?

आपूर्तिकर्ता पीएमजेवीएम या पूर्ववर्ती न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद/उपज (एमएफपी) के लिए विपणन तंत्र के तहत एक वैयक्तिक जनजातीय उत्पादक जनजातीय उत्पादकों के उत्पादों का आपूर्तिकर्ता, जनजातीय एसएचजी, वन धन विकास केंद्र और एमएफपी के लिए मूल्य संवर्धक का विकास, जनजातीय सहकारी समितियॉ, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार जनजातीय उत्पादक संगठन और अन्य जनजातीय उत्पादों का क्रय-विक्रय करने वाला अन्य व्यक्ति हो सकता है। जहां कही भी आपूर्तिकर्ता, व्यक्तियों का समूह और/या एक संगठन है, उस समूह के न्यूनतम सत्तर प्रतिशत (70%) लोग जनजातीय होंगे। जो इस शर्त के अध्याधीन होगा कि आपूर्तिकर्ता संगठन में अध्यक्ष, महासचिव आदि जैसे पदों को अ.ज.जा. समुदाय के व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा इसके अतिरिक्त केवल अ.ज.जा. समुदाय द्वारा उत्पादन किए गए उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी

और ऐसी आपूर्ति से हुई आय जनजातीय उत्पादको तक पहुंचेगी।

आपूर्तिकर्ताओं को ट्राइफेड के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ मौजूदा डेटाबेस को खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं और उत्पादों की पहचान के लिए उपयोग किया जाएगा।

आपूर्तिकर्ताओं का विवरण डेटाबेस में रखा जाएगा जिसमें निम्नलिखित निदर्शनात्मक विवरण होंगे:

i. वर्तमान और संभावित उत्पादन क्षमता,
ii. कच्चे माल का खराब (साइरिंग) होना।
iii. मौसमी उत्पादन,
iv. उत्पादन चक्र का समय,
v. प्राप्त किसी प्रमाणपत्र का विवरण,
vi. कोई अन्य विवरण जो इनक्यूबेशन एजेंसियों द्वारा उपयुक्त समझा जाए

ख) उत्पादों की सोर्सिंग (स्रोत):

यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के पैनल में शामिल (सूचीबद्ध) जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं से उत्पादों की सोर्सिंग (स्रोत) और मार्केटिंग (विपणन) पर केंद्रित है। जनजातीय उत्पादों की विभिन्न श्रेणियां जो जनजातीय संग्रहकर्ताओं से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 8 मुख्य श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

- धातु शिल्प
- वस्त्र
- आभूषण
- पेंटिंग
- बेंत और बांस
- टेराकोटा और स्टोन पॉटरी
- उपहार और नए उत्पाद

ट्राइफेड इनक्यूबेशन एजेंसियों के परामर्श से उपरोक्त श्रेणियों को स्रोत(सोंसड) उत्पादों की आवश्यकता और मात्रा के अनुसार जोड़ या समामेलित कर सकता है।

ग) उत्पादों की ब्रांडिंग:

उत्पादों की ब्रांडिंग ट्राइफेड द्वारा विकसित की जाएगी, जो पूर्वोत्तर परंपराओं और समृद्ध विरासत की कहानी को दर्शाती है। ट्राइफेड द्वारा ऑनबोर्ड कार्यान्वयन भागीदारों के साथ परामर्श से ब्रांडिंग कार्य किया जाएगा। मौजूदा ब्रांडों के लिए ब्रांडिंग एक विकल्प नहीं होगा

लेकिन क्षेत्र और मौजूदा ब्रांडों की संवेदनशीलता के संबंध में विकसित किया जाएगा।

घ) ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विकास, प्रचार और विपणन

ट्राइफेड के मौजूदा मार्केटिंग चैनलों के अलावा, रिटेल आउटलेट, प्रदर्शनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि के रूप में समर्पित ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल विकसित किए जाएंगे, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।

ट्राइफेड अपने रिटेल आउटलेट्स, आत्म निर्भर कॉर्नर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के मौजूदा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस योजना के तहत प्राप्त (सोर्सड) उत्पादों का विपणन कर सकता है और साथ ही इनक्यूबेशन एजेंसियों और अन्य सरकारी एजेंसियों की इच्छा के अनुसार प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है।

सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट घरानों से पूर्वोत्तर उत्पादों के लिए थोक ऑर्डर जुटाने के प्रयास किए जाएगें।

ड.) लॉजिस्टिक चैनलों का विकास

परिवहन नेटवर्क का रखरखाव और संचालन: डीओपी संग्रहण केंद्रों से खुदरा दुकानों, अन्य एकत्रीकरण केंद्रों और गोदामों से उपभोक्ताओं और अन्य गंतव्यों को आवश्यकतानुसार माल के हस्तांतरण में रसद सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। इनके अलावा, डीओपी ई-कॉमर्स ऑर्डर के लिए एक वैश्विक डिलीवरी पार्टनर भी होगा। पैरा 7 की तालिका में 'लॉजिस्टिक पार्टनर' कॉलम शीर्ष के तहत योजना के अंतर्गत (निर्धारित) निधियों को इस उद्देश्य के लिए डीओपी के निपटान में रखा जाएगा।

ट्राइफेड यह सुनिश्चित करने के लिए डीओपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा कि संभारकीय कार्य व्यवस्थाओं की देखरेख इस ढ़ंग से की जाती है कि योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

च) संग्रहण और एकत्रीकरण केंद्रों की स्थापना (प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यों में से 1)

कार्यान्वयन भागीदारों के साथ सहयोग से ट्राइफेड परियोजना के लिए संभारकीय रूप से सुविधाजनक स्थानों पर व्यवसायिक और तकनीकी रूप से सुसज्जित संग्रहण-सह-एकत्रीकरण केंद्र स्थापित करेगा। इस उद्देश्य के लिए, कार्यान्वयन भागीदारों पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के मौजूदा बुनियादी ढांचे और संसाधनो का उपयोग उपलब्ध संसाधनों की लागत को कम करने और प्रभावी उपयोग के लिए किया जा सकता है। इन

संग्रहण और एकत्रीकरण केंद्रों का प्रबंधन कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा किया जाएगा और इन्हें कई उद्देश्यों के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जैसे:

(i) संग्रहण केंद्र:
कारीगर उत्पादन इकाई से संग्रहण केंद्रों तक उत्पादों की डिलीवरी की व्यवस्था करेगा। हालांकि, भारी मात्रा में किसी भी प्रकार की संभारकीय (लॉजिस्टिक) कठिनाइयों के मामले में, एक कार्यान्वयन भागीदार की सहायता मांगी जा सकती है। ऐसे मामलों में कार्यान्वयन भागीदार उत्पादन इकाई से उत्पादों को लेने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगी और उसे निर्दिष्ट संग्रहण केंद्रों पर डिलीवर करेगी और खरीदे गए उत्पादों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगी।

(ii) गुणवत्ता निरीक्षण:

कारीगरों से उत्पादों की खेप (प्रेषित माल) स्वीकार करने से पहले, पूर्व-निर्धारित मापदंडों के अनुसार उचित गुणवत्ता जांच की जाएगी। कार्यान्वयन भागीदार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि खेप (प्रेषित माल) में प्रत्येक उत्पाद परिभाषित गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार है। इसके लिए, प्रत्येक केंद्र पर कार्यान्वयन भागीदार द्वारा संसाधन का परिनियोजन किया जाएगा। गुणवत्ता जांच के सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही उत्पादों को स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा, कार्यान्वयन भागीदार द्वारा संग्रह केंद्रों पर उत्पादों की बारकोडिंग की जाएगी।

(iii) जनजातीय कारीगरों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र:
ये केंद्र जनजातीय कारीगरों के क्षमता निर्माण के लिए कार्यान्वयन भागीदारों और अन्यों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के लिए आवश्यक स्थान की आवश्यकताओं की सुविधा भी प्रदान करेंगे।

(iv) गोदाम और पैकेजिंग केंद्र

i) **उत्पाद की प्रदर्शनी के लिए स्थान (साइट):** केंद्र उत्पाद की प्रदर्शनियों के लिए एक साइट (स्थान) के रूप में भी सुविधा प्रदान करेंगे। इनसे सग्रहण केंद्र से ही प्रत्यक्ष बिक्री की संभावना बढ़ जाएगी।
   संक्षेप में, ये इनक्यूबेशन और सग्रहण केंद्र आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करेंगे।

ii) **रिटेल इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर (आरआईएस):**

ट्राइफेड ने पीएमजेवीएम योजना के तहत इन्वेंट्री (वस्तु सूची) नियंत्रण के लिए अपने सभी ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में रिटेल इन्वेंटरी

सॉफ्टवेयर (आरआईएस) का संचालन किया है। सभी इन्क्यूबेशन और एकत्रीकरण केंद्रों पर समान इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी।

7.1 ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालय की भूमिका:

क्षेत्रीय कार्यालय की टीम केंद्रीकृत गोदाम में नियमित रूप से निगरानी का दौरा करेगी। क्षेत्रीय कार्यालय योजना के कार्यान्वयन में कार्यान्वयन भागीदारों के साथ समन्वय करेगा।

8. योजना की वित्तीय अभिविन्यास (लेआउट)

योजना की कार्यान्वयन अवधि के लिए एसएफसी द्वारा स्वीकृत योजना हेतु कुल बजट 143.52 करोड़ रु. है।

9. अनुदान की निर्मुक्ति

i) योजना के प्रथम वर्ष में विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए संपूर्ण उपलब्ध बजटीय अनुदान, एक किशत में जारी किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष/वर्षों में बजटीय अनुदान दो किश्तों में जारी किया जाएगा। 'ट्राइफेड' से मांग प्राप्त होने पर बजट की 50% तक की पहली किश्त जारी की जाएगी। दूसरी किस्त, जीएफआर के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ 'ट्राइफेड' के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना प्रस्तुत करने के साथ प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाएगी।

ii) एक वर्ष में दूसरी किस्त जारी करना भी एमएलडीपीपी-एनईआर के तहत लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र के समायोजन के अधीन होगा।

iii) निधि-प्रवाह (फंड-फ्लो) के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), जीएफआर और समय-समय पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाई गई अन्य शर्तों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा।

iv) ट्राइफेड योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने हेतु केंद्र या राज्य / संघ राज्यक्षेत्र सरकार की किसी अन्य योजना से अभिसरण करने का प्रयास करेगा।

v) मंत्रालय द्वारा जारी अनुदानों का वित्तीय उपयोग वास्तविक उपलब्धि के रूप में पहचाना जाना चाहिए और अन्य संसाधनों के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। एमएलडीपीपी-एनईआर के तहत समर्पित वित्त पोषण के माध्यम से हासिल की गई विशिष्ट वास्तविक प्रगति, ट्राइफेड को, निधियों को सुचारू और निरंतर जारी करने की सुविधा प्रदान करेगी।

vi) ट्राइफेड, एमएलडीपीपी-एनईआर के तहत निधियों से की गई गतिविधियों की भौतिक प्रगति रिपोर्ट को बनाए रखने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब भी मंत्रालय या ऑडिट सहित किसी वैधानिक निकाय/संगठन द्वारा मांगा जाएगा।

vii) ट्राइफेड यह सुनिश्चित करेगा कि योजना की अवधि के अंत में कोई प्रतिबद्ध देयता नहीं है।

viii) ट्राइफेड यह सुनिश्चित करेगा कि इस योजना के तहत भारत सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत किए जा रहे किसी भी कार्य पर होने वाले खर्च का दोहराव न हो। इस दिशा में, और इस योजना के प्रयोजनों के लिए पूर्वोत्तर में ट्राइफेड के प्रयासों को मजबूत करने हेतु, संस्थागत सहायता योजना के तहत अनुदान का उपयोग एनईआर में खरीद या एनईआर के भीतर किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा। हालांकि, संस्थागत सहायता योजना के तहत ई-कॉमर्स में किए गए निवेश का उपयोग एनईआर योजना के तहत खरीदे गए उत्पादों के विपणन के लिए किया जा सकता है।

10. निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

'ट्राइफेड' डेमो, नीति आयोग के समन्वय से योजना की प्रगति और प्रभाव का आकलन करने के लिए आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क को ठीक से डिजाइन करेगा।

क. 'ट्राइफेड' नीति आयोग को योजना के शुरू होने की सूचना देने की प्रक्रिया शुरू करेगा और इसे डिजाइन करेगा, ताकि इन दिशानिर्देशों के जारी होने के 6 महीने के भीतर ओओएमएफ तैयार किया जा सके।

ख. योजना की समय पर निगरानी और समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्राइफेड द्वारा उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित प्रणाली स्थापित की जाएगी:

(i) डेटाबेस प्रबंधन,

(ii) खुदरा सूची प्रबंधन प्रणाली (आरआईएस), आपूर्ति श्रृंखला और रसद प्रबंधन प्रणाली

(iii) दोनों ट्राइफेड की ऊष्मायन एजेंसी के साथ आवधिक समीक्षा

(iv) ट्राइफेड योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक (फिजिकल) और वित्तीय प्रगति पर प्रत्येक तिमाही के अंत के 15 दिनों के भीतर जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) को एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा (इस तरह

की पहली रिपोर्ट जून, 2022 तक की अवधि के लिए होनी चाहिए) ।

(v) **सामाजिक आकलन (सोशल ऑडिट)**: ट्राइफेड स्थानीय निकायों, जनप्रतिनिधियों और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से इस योजना का पारदर्शी तरीके से सामाजिक आकलन (सोशल ऑडिट) करेगा।

11. अभिसरण

इस योजना में भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ उत्तर-पूर्व की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ अभिसरण पर ध्यान खींचा गया है:

क. ट्राइफेड यह सुनिश्चित करेगा कि इस योजना के तहत किसी भी काम पर खर्च का दोहराव नहीं है, जो भारत सरकार की किसी अन्य योजना के तहत किया जा रहा है, सिवाय पीएमजेवीएम के मामले को छोड़ कर, जिसमें 'विकास के लिए संस्थागत सहायता' की योजना का घटक है और ट्राइफेड के जनजातीय उत्पादों/उपज के विपणन का उपयोग सॉफ्टवेयर और अन्य कम्प्यूटरीकरण/स्वचालन संबंधी गतिविधियों के विकास के लिए किया जा सकता है जो ट्राइफेड के संचालन हेतु पूरे देश में उपयोगी होंगे क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों के विपणन में पूर्वोत्तर क्षेत्र से परे खुदरे आउटलेट भी शामिल होंगे।

ख. मौजूदा एजेंसियों के संसाधनों और मजबूती का लाभ उठाने में, सभी हितधारकों, यानी कारीगरों, आपूर्तिकर्ताओं, एजेंसियों और कई अन्य के लिए परिणामों को अनुकूल बनाया जाएगा।

ग. ट्राइफेड यह सुनिश्चित करने के लिए एमओआरडी, डीपीआईआईटी, एमएसएमई, एमओएफपीआई, कौशल विकास मंत्रालय, कृषि, वाणिज्य, विदेश मंत्रालय और अन्य राज्य तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों / एजेंसियों की योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना के विजन और उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है।

12. राज्य सरकार की भूमिका

इस योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई है:

क. बिजली, पानी की आपूर्ति, सड़कों, अपशिष्ट निपटान आदि जैसी परियोजनाओं के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, आवश्यक बाहरी बुनियादी ढांचा प्रदान करना ।

ख. संबंधित योजनाओं के तहत परियोजनाओं की समग्र प्रभावशीलता और व्यवहार्यता के लिए उपलब्ध गठजोड़ (बंधन) सहायता; और

ग. जहां कहीं भी आवश्यक हो सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करना और क्लस्टर को बिजली, पानी और अन्य उपयोगिताओं के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना ।

घ. इस योजना का; न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास (अब पीएमजेवीएम के रुप में संशोधित) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीडीवीके समूहों की सूची बनाने हेतु अभिसरण ।

ङ. योजना के सफल कार्यान्वयन में आईपी के साथ समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करना।

13. परिसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम)

ट्राइफेड यह सुनिश्चित करेगा कि योजना के तहत सृजित परिसम्पत्तियों को योजना की अवधि के बाद भी इन सुविधाओं का उपयोग जारी रखने हेतु उचित रूप से लेखाबद्ध और रखरखाव किया जाता रहे। जहां भी आवश्यक होगा, ट्राइफेड हितधारकों के साथ एक समझौता/समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगा।

14. जागरूकता पैदा करना और प्रचार करना

योजना का व्यापक प्रचार करने के लिए ट्राइफेड द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के माध्यमों से जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। इसके अलावा, योजना के घटकों से संबंधित पहलुओं पर सामाजिक संदेश प्रसारित किए जा सकते हैं।

15. अस्पष्टता/छूट को हटाना

ऊपर निहित किसी भी बात के होते हुए भी और जब भी ऐसा करने की आवश्यकता हो केंद्र सरकार ऐसे निर्देश/व्याख्याएं जारी कर सकती है जो उपरोक्त दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों। इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा। दिशानिर्देशों में छूट, ट्राइफेड द्वारा औचित्य के साथ सिफारिश के अध्यधीन होगी और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा की जाएगी।

****